email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन / फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 421 / दिनांक, मुनिकीरेती 10/09 /2020, I

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोड़ल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– <u>राज्य योजना के अन्तर्गत देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.05 है0 वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (FP/UK/ROAD/31858/2018).</u>

सन्दर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्रांक–876/12–1, दिनांक–08.09.2020 I

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर आप द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा उपरोक्त संदर्भित से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु संख्या 1–4 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार वन मोटर मार्ग के 1980 के पूर्व निर्मित होने के संबंध में अभिलेख एवं नक्शा प्रस्तुत करे।	उक्त मोटर मार्ग वन विभाग द्वारा निर्मित एक वन मोटर मार्ग है। जिसका निर्माण लगभग वर्ष 1980 से पूर्व ही किया गया है, उक्त से सम्बन्धित अभिलेख के कम में इस वन प्रभाग की **कार्ययोजना (1976–77 से 1985–86 तक) के पृष्ठ सं0–(516) में परिशिष्ट–iv-(ग)–(II) वन विभाग के अधीन मोटर मार्गो की सूची में डुण्डा वन राजि के अर्न्तगत कम सं0–02 के (फोल्ड–धनारी वन मोटर मार्ग लम्बाई 5.39 कि0मी0) की प्रति** संलग्न कर प्रेषित है।
2	साथ ही alternative मार्ग के संबंध में समस्त जानकारी प्रभावित वृक्षों की संख्या, मार्ग की लम्बाई, भूमि का विवरण, इत्यादि प्रस्तुत करें। यह Aternative उचित प्रतीत होता है।	वैकल्पिक समरेखण के 0.45 किमी0 भाग नाप भूमि, 1.55 किमी0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.20 किमी0 भाग सिविल भूमि पड़ती है। इस समरेखण में कुल 232 वृक्ष आ रहे है (वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात समायोजन में आ रहें वृक्षों की सूची एवं Comperative statement of alignments, Part-I & Part-II के Additional information मे अपलोड कर दिया गया है।) इसके अतिरिक्त वैकल्पिक समरेखण का ग्रेड 1:15, 1:10 आ रहा है। जो IRC 52–2019 के मानको के अनुरूप नही है जिस कारण इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना IRC CODE के अनुसार उचित नही है। इसके अतिरिक्त इस समरेखण में मार्ग निर्माण हेतु पूरी चौडाई में पहाड़ कटान का कार्य करना पडेगा, जिसमें उत्सर्जित मलवे की मात्रा प्रथम सर्वेक्षण के सापेक्ष कई गुना अधिक होगी, जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नही होता है अतः स्पष्ट नही हो पाया है कि किन कारणों से वैकल्पिक समररेखण को आप द्वारा उचित बताया गया है (Comperative statement of alignments अलग से संलग्न किया गया है)

Scanned with CamScanner

	Wildlife management plan should have been prepared by some expert in wildlife matters atleast not below D.F.O In instant case the same has been prepared by R.O Further the wildlife management plan is required to be approved by the CWLW	Site inspection report has been revised and uploaded at para-15 in part-II. The recommendation of Wildlife Management Plan has been dropped.
4	The reply to point no. 6 is not satisfactory as still no comments are given against para 5.5 of S.I.R and the recommendation is still sketchy. In addition, D.F.O has not done any correction in S.I.R except addition of few lines in para-5.4 that too in old S.I.R only. State Govt, may do the needful in this regard.	Site inspection report has been revised and uploaded at para-15 in part-II. As per site inspection report again para 5.4- "Yes", 5.5(a)- "Yes" and 5.5(b)- "No" has been recommended. Proposal has been recommended for approval.
5	In the reply to point NO. 07, muck disposal plan duly authenticated by D.F.O found uploaded but D.F.O mentioned in his S.I.R uploaded at para 15 in part II that muck disposal plan is not appropriate. State Govt may clarify this contradiction.	Site inspection report has been revised and uploaded at para-15 in part-II. As per site inspection report muck disposal plan as suggested has been annexed & uploaded as additional information in online Part-I by user agency. The hard copy of MDP is enclosed.
6	Length of cutting provided in muck disposal plan does not match with the length mentioned in the land schedule. Hence State Govt. may submit the detailed calculation of muck showing the length of road, width of road and cutting and swell factor taken into account.	याचक विभाग द्वारा Muck Disposl Plan में Cutting की Length को सही कर नया संशोधित Muck Disposl Plan को पार्ट–2 में Additional information मे upload कर दिया गया है।
7	In para-B 2.4 of part I. 0.25 ha of forest land has been proposed for muck disposal whereas 2 muck disposal sites- one in forest land with an area of 0.16 ha (80mx20m) and second in naap land with an area of 0.09 ha (45mx20m) are mentioned in M.D.P. Thus the area of forest land proposal for muck disposal doesn't match.	याचक विभाग की आख्या अनुसार मक डम्पिंग यार्ड हेतु संशोधित क्षेत्र 125X20 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 0.25 है0 आ रहा है, आरक्षित वन भूमि में स्थित है। उक्त भू–भाग में कोई भी वृक्ष नही आ रहे है तथा दूसरा डम्पिंग यार्ड 45x20 मीटर का है, जो नाप भूमि में लिया गया है। आरक्षित वन भूमि में स्थित Dumping Zone का क्षेत्रफल संशोधित कर पार्ट–2 के Additional information मे upload कर दिया गया है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एन0 एन0 पाण्डेय)
वन संरक्षक

संख्या – / , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0 एन0 पाण्डेय)
वन संरक्षक

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 876 / 12-1 , कोटबंगला दिनांक 08 / 09 /2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत देवीधार-धनारी-फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.05 है0 वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/204 /2019/एफ0सी0/444 दिनॉक 25.06.2020 तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को पत्रांक-कैम्प/मेमो दिनांक 09.08.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण पर लगाई गई ऑनलाइन आपत्ति का निराकरण कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु संख्या 1-4 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार वन मोटर मार्ग के 1980 के पूर्व निर्मित होने के संबंध में अभिलेख एवं नक्शा प्रस्तुत करे।	उक्त मोटर मार्ग वन विभाग द्वारा निर्मित एक वन मोटर मार्ग है। जिसका निर्माण लगभग वर्ष 1980 से पूर्व ही किया गया है, उक्त से सम्बन्धित अभिलेख के कम में इस वन प्रभाग की कार्ययोजना (1976-77 से 1985-86 तक) के पृष्ठ सं0-(516) में परिशिष्ट-iv-(ग)-(II) वन विभाग के अधीन मोटर मार्गो की सूची में डुण्डा वन राजि के अर्न्तगत कम सं0-02 के (फोल्ड-धनारी वन मोटर मार्ग लम्बाई 5.39 कि0मी0) की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
2	साथ ही alternative मार्ग के संबंध में समस्त जानकारी प्रभावित वृक्षों की संख्या, मार्ग की लम्बाई, भूमि का विवरण, इत्यादि प्रस्तुत करें। यह Aternative उचित प्रतीत होता है।	वैकल्पिक समरेखण के 0.45 किमी0 भाग नाप भूमि, 1.55 किमी0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.20 किमी0 भाग सिविल भूमि पड़ती है। इस समरेखण में कुल 232 वृक्ष आ रहे है (वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात समायोजन में आ रहें वृक्षों की सूची एवं Comperative statement of alignments, Part-I & Part-II के Additional information मे अपलोड कर दिया गया है।) इसके अतिरिक्त वैकल्पिक समरेखण का ग्रेड 1:15, 1:10 आ रहा है। जो IRC 52-2019 के मानको के अनुरूप नही है जिस कारण इस समरेखण मे मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना IRC CODE के अनुसार उचित नही है। इसके अतिरिक्त इस समरेखण में मार्ग निर्माण हेतु पूरी चौडाई में पहाड़ कटान का कार्य करना पडेगा, जिसमें उत्सर्जित मलवे की मात्रा प्रथम सर्वेक्षण के सापेक्ष कई गुना अधिक होगी, जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नही होता है अतः स्पष्ट नही हो पाया है कि किन कारणों से वैकल्पिक समररेखण को आप द्वारा उचित बताया गया है (Comperative statement of alignments अलग से संलग्न किया गया है)
3	Wildlife management plan should have been prepared by some expert in wildlife matters atleast not below D.F.O In instant case the same has been prepared by R.O Further the wildlife management plan is required to be approved by the CWLW	Site inspection report has been revised and uploaded at para-15 in part-II. The recommendation of Wildlife Management Plan has been dropped.

Scanned with CamScanner

	reply to point no. 6 is not satisfactory as still comments are given against para 5.5 of S.I.R and the recommendation is still sketchy. In addition, D.F.O has not done any correction in S.I.R except addition of few lines in para-5.4 that too in old S.I.R only. State Govt, may do the needful in this regard.	Site inspection report has been revised and uploaded at para-15 in part-II. As per site inspection report again para 5.4- "Yes", 5.5(a)- "Yes" and 5.5(b)- "No" has been recommended. Proposal has been recommended for approval.
5	In the reply to point NO. 07, muck disposal plan duly authenticated by D.F.O found uploaded but D.F.O mentioned in his S.I.R uploaded at para 15 in part II that muck disposal plan is not appropriate. State Govt may clarify this contradiction.	Site inspection report has been revised and uploaded at para-15 in part-II. As per site inspection report muck disposal plan as suggested has been annexed & uploaded as additional information in online Part-I by user agency. The hard copy of MDP is enclosed.
6	Length of cutting provided in muck disposal plan does not match with the length mentioned in the land schedule. Hence State Govt. may submit the detailed calculation of muck showing the length of road, width of road and cutting and swell factor taken into account.	याचक विभाग द्वारा Muck Disposl Plan में Cutting की Length को सही कर नया संशोधित Muck Disposl Plan को पार्ट–2 में Additional information मे upload कर दिया गया है।
7	In para-B 2.4 of part I. 0.25 ha of forest land has been proposed for muck disposal whereas 2 muck disposal sites- one in forest land with an area of 0.16 ha (80mx20m) and second in naap land with an area of 0.09 ha (45mx20m) are mentioned in M.D.P. Thus the area of forest land proposal for muck disposal doesn't match.	याचक विभाग की आख्या अनुसार मक डम्पिंग यार्ड हेतु संशोधित क्षेत्र 125X20 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 0.25 है0 आ रहा है, आरक्षित वन भूमि में स्थित है। उक्त भू–भाग में कोई भी वृक्ष नही आ रहे है तथा दूसरा डम्पिंग यार्ड 45x20 मीटर का है, जो नाप भूमि में लिया गया है। आरक्षित वन भूमि में स्थित Dumping Zone का क्षेत्रफल संशोधित कर पार्ट–2 के Additional information मे upload कर दिया गया है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner